# छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

**//अधिसूचना//**

नया रायपुर, दिनांक .....

क्रमांक एफ–20–24/2015/11/6, चूंकि राज्य शासन को " छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 " के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "भू– प्रब्याजी में छूट/रियायत योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.05.2015 द्वारा जारी **"औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू आबंटन पर भूमि प्रब्याजी में छूट/रियायत नियम"** के प्रथम पैरा की दो सारणियों के पश्चात निम्नानुसार तृतीय सारणी समाविष्ट कर संशोधन करती है, अर्थात् :–

## संशोधन

**(एक) स्टार्ट अप इकाईयां –**

| क्षेत्र जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/स्थापित होंगे | उद्योगों की श्रेणी | उद्यमियों का वर्ग | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य वर्ग | अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.) निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले उद्यमी | महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमी | अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग |
| समस्त औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क | समस्त श्रेणी | 60 प्रतिशत | 60 प्रतिशत | 60 प्रतिशत | 60 प्रतिशत |

इस छूट की पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी।



Scanned by CamScanner

2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है।
3. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी। इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे।
4. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, निःशक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा।
5. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा भू–प्रब्याजी अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत् भू–प्रब्याजी में छूट राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी।
6. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती हैं।
7. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत भू–प्रब्याजी में छूट की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
8. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी ।

**टीप** – उपरोक्त भू–प्रब्याजी में छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्टअप घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

**(दो)** उक्त अधिसूचना में पैरा 4 के उप पैरा 4.6 में , *परिवार एवं निःशक्त संबंधी प्रमाण पत्र* के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जावे, अर्थात्

*छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)*

यह अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2016 से प्रवृत्त मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(व्ही.के.छबलानी)**
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक एफ–20–24/2015/11/6 नया रायपुर दिनांक 23-9-2017

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
   कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला ........................ छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25 SEP 2017

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर
आ. 1566
दि. 26-9-



Scanned by CamScanner